न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2025 निर्णय दिनांकः– 25-03-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/50)

1. हेतराम पुत्र बनाराम जाति मेघवाल निवासी जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01–12–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 01–12–1993 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटन शुदा भूमि का भूमिहीन में आवंटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तमाम जॉच होने के पश्चात अपीलांट को दिनांक 01–12–1993 व 24–09–1994 को तहसील पूगल के चक 2 जे.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 174/11 में किला नम्बर 11, 12, 17 ता 24 में 10 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 174/28 में किला नम्बर 3, 8 मे 2 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13 ता 18, 23 ता 25 में 9 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का जरिये लॉटरी आवंटन किया गया। वादग्रस्त भूमि के मुरब्बा नम्बर 174/11 पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा थी तथा मुरब्बा नम्बर 174/28 पर विवाद चल रहा था। इस प्रकार उक्त भूमि विवादग्रस्त थी, तथा शुद्ध रूप से अराजीराज भूमि नही थी। ऐसी भूमि का आवंटन नियमो के तहत नही किया जा सकता। इस कारण अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का कब्जा नही दिया गया। ऑफिशियल मिस्टेक के लिए अपीलांट को दंडित नही किया जा सकता है यदि उक्त भूमि पूर्व में आवंटनशुदा थी तो उक्त भूमि की एवज में अन्य भूमि अपीलांट को देनी चाहिए थी जो नही दी गई। अब उक्त आदेश की पालना नही की जा रही है। जबकि अपीलाधीन आदेश आज दिन भी स्टेण्ड कर रहा है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है वह अन्य विवाद में नही पड़ना चाहता है। उक्त भूमि पूर्व में आवंटन शुदा एवं विवादग्रस्त थी इस कारण अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करनी चाहिए। जिसको आवंटन करवाने का अपीलांट अधिकारी है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए आयुक्त उपनिवेशन के निर्देशानुसार अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना को सक्षम शुदा प्रार्थना पत्रो के साथ शामिल किया गया।

प्रार्थी/अपीलांट के नाम की लॉटरी चक 2 जे.डब्ल्यु.एम.(वर्तमान में 3 जे.डब्ल्यु.एम) के मुरब्बा नम्बर 174/11 में किला नम्बर 11, 12, 17 ता 24 में 10 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नम्बर 174/28 में किला नम्बर 3, 8 मे 2 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 13 ता 18, 23 ता 25 में 9 बीघा अनकमाण्ड भूमि निकली। तत्पश्चात दिनांक 24–09–1994 को प्रार्थी/अपीलांट का फोटो फार्म राजस्व तहसील से तस्दीक होकर प्राप्त हुआ जिसके अनुसार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थी/अपीलांट को सद्भाविक काश्तकार माना तथा पुलिस रिपोर्ट भी प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में किसी अन्य को आवंटित थी तथा भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज नही थी।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का पात्र घोषित करते हुए आवंटन आदेश जारी किया था।

अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत 2072–2075 की प्रति पेश की जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि चक 3 जेडब्ल्युएम (पूर्व में 2 जेडब्ल्युएम) के मुरब्बा नम्बर 174/28 की भूमि वर्तमान में अराजीराज है परन्तु मुरब्बा नम्बर 174/11 की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा चुकी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आवंटन आदेश दिनांक 22–06–1994 द्वारा कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस तथ्य की जॉच करे कि क्या अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ है अथवा नही? यदि अपीलांट का आवंटन आज दिन तक बहाल है तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 25-03-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर